एनएनएम/50/2017-डब्ल्यूबीपी
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

तीसरा तल, जीवन विहार बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 24.01.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारिणी समिति का गठन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीतिगत सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के गठन के बारे में भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में एक कार्यकारिणी समिति गठित की गई है।

2. कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्नानुसार है :

I.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
II.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
III.	सचिव, व्यय, वित्त मंत्रालय	सदस्य
IV.	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता	सदस्य
V.	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
VI.	सचिव, पंचायती राज	सदस्य
VII.	सचिव, जनजातीय कार्य	सदस्य
VIII.	सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	सदस्य
IX.	सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	सदस्य
X.	सचिव, शहरी विकास	सदस्य
XI.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
XII.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	सदस्य
XIII.	सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	सदस्य
XIV.	बारी-बारी से पांच क्षेत्रों के मुख्य सचिव i. असम ii. छत्तीसगढ़ iii. तमिलनाडु iv. महाराष्ट्र v. गुजरात	सदस्य
XV.	अधिक प्रभावित जिलों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बारी-बारी से पांच क्षेत्रों के मुख्य सचिव (परंतु भिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) i. उत्तर प्रदेश ii. बिहार iii. झारखंड iv. मध्य प्रदेश v. राजस्थान	सदस्य
XVI.	सलाहकार, स्वास्थ्य एवं पोषण - नीति आयोग	सदस्य
XVII.	बाल विकास एवं पोषण के क्षेत्र में प्रख्यात संस्थाओं/चिकित्सा/गृह विज्ञान कॉलेजों/एनजीओ से प्रतिनिधि : i. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई)	सदस्य

	ii. राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) iii. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)	
XVIII.	निदेशक-निपसिड	सदस्य
XIX.	निदेशक-एनआईएचएफडब्ल्यू	सदस्य
XX.	निदेशक-एनआईएन	सदस्य
XXI.	संगत क्षेत्रों से विशेषज्ञ (पांच) i. डा. आर.सी. पांडा, सदस्य, मिश्रित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बोर्ड ii. सुश्री दीपिका श्रीवास्तव, ओएसडी, नीति आयोग	सहयोजित किए जाने वाले सदस्य
XXII.	मिशन निदेशक, एनएनएम (आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी अपर सचिव या संयुक्त सचिव)	सदस्य सचिव एवं संयोजक

2.2 कार्यकारिणी समिति 2017-18 में आरंभिक तौर पर जमीनी स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बच्चों में ठिगनेपन की अधिक दर वाले दस जिलों से सदस्य के रूप में निम्नलिखित दस डीसी/डीएम को सहयोजित करती है :

क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
2.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
3.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
4.	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम
5.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
6.	बिहार	सीतामढ़ी
7.	उत्तर प्रदेश	गोंडा
8.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
9.	कर्नाटक	कोप्पल
10.	कर्नाटक	यादगिर

2.3 कार्यकारिणी समिति 6 साल से कम आयु के बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पोषण से संबंधित गतिविधियों के संबंध में शीर्ष निकाय है जो एनएनएम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिशा, नीति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

3. हर 3 माह में एक बार कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी तथा यह एनएनएम के निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी :

i. 6 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं, किशोरियों के पोषण से संबंधित गतिविधियों के संबंध में शीर्ष संस्था के रूप में काम करना।

ii. भारत सरकार/राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सभी संबंधित मंत्रालयों के पोषण से संबंधित सभी घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करना।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पोषण संबंधी स्थिति की आवधिक आधार पर समीक्षा करना तथा नीतिगत निर्देश प्रदान करना।

iv. विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक योजना में पोषण से संबंधित घटकों के लक्ष्य निर्धारित करना।

v. अल्प पोषण, ठिगनेपन तथा विकास अवरुद्धता की समस्या से निपटने के लिए एसएमएस अलर्ट सृजित करने तथा शीघ्रता से स्थानिय अंतक्षेप के लिए रियल टाइम निगरानी करना।

vi. बीसीसी/ईसीसीई-श्रव्य/दृश्य सहायक सामग्री तथा मुद्रित सामग्री जो बच्चों के लिए बीसीसी तथा ईसीसीई के माध्यम से कारगर अंतक्षेप के लिए प्रदान की जाएगी।

vii. पोषण से संबंधित कार्यक्रमों में अंतरालों को भरने के लिए संगत सहायता की पहचान करना।

viii. पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण से संबंधित विभिन्न घटकों/कार्यों का सुझाव देना/निर्धारित करना।

ix. विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करना तथा अभिसरण के मुद्दों का समाधान करना।

x. संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रत्येक योजना में पोषण से संबंधित घटकों की पहचान करना।

xi. संबंधित मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पोषण से संबंधित किसी घटक पर आवधिक रिपोर्टें/विवरणियां निर्धारित करना/मंगवाना।

xii. डाटा प्रवाह तथा समय से कार्रवाई के लिए आईसीडीएस-सीएएस और आरसीएच पोर्टल के एकीकरण के माध्यम से अभिसरण।

xiii. चिन्हित क्षेत्रों में कुपोषण के कारणों का मूल्यांकन करना तथा उपचारी कदमों की योजना बनाना।

xiv. परिणामों की समीक्षा करना तथा मध्यावधि सुधारों का सुझाव देना जो नीतिगत डिजाइन में अपेक्षित हो सकते हैं।

xv. पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सहायक कदमों के विश्लेषण के साथ प्रमुख परिणामों में प्रगति की टोह लेना।

xvi. एनएनएम को सौंपे गए उपर्युक्त कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई अन्य कार्य करना।

4. राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद को रिपोर्ट करेगा।

(मनोज कुमार सिंह)
निदेशक, भारत सरकार
फोन नं. 011-23386553
ई-मेल : mksingh.ofb@nic.in

सेवा में,
कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. सलाहकार, स्वास्थ्य एवं पोषण - नीति आयोग
4. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
5. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
6. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
7. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय
8. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
9. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
11. सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
12. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

14-18. बारी-बारी से असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के पांच क्षेत्रों के मुख्य सचिव

19-23. अधिक प्रभावित जिलों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बारी-बारी से पांच क्षेत्रों के मुख्य सचिव (परंतु भिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान

24-26. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से प्रतिनिधि

27. डा. आर.सी. पांडा, सदस्य, मिश्रित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बोर्ड

28. सुश्री दीपिका श्रीवास्तव, ओएसडी, नीति आयोग

29. निदेशक-निपसिड

30. निदेशक-एनआईएचएफडब्ल्यू

31. निदेशक-एनआईएन

32. बच्चों में ठिगनेपन की अधिक दर वाले 10 जिलों (बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सिद्धार्थनगर, सीतामढ़ी, गोंडा, सीतापुर, कोप्पल और यादगिर) से डीसी/डीएम

प्रति प्रेषित :

1. प्रधान निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव के प्रधान निजी सचिव,

(मनोज कुमार सिंह)
निदेशक, भारत सरकार